उत्तर प्रदेश शासन।
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या-33/2017/1884(2)/60-2-17-2/1(90)/12
लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-30/2017/1884/60-2-17-2/1(90)/12, दिनांक 31.07.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों /मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये फलेक्सी फण्ड एवं प्रशासनिक मद में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 12363.27 लाख के सापेक्ष 03 माह के व्यय हेतु रूपये 912.00 लाख (रूपये नौ करोड़ बारह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में "03 माह के व्यय हेतु रूपये 912.525 लाख (रूपये नौ करोड़ बारह लाख बावन हजार पांच सौ मात्र)" के स्थान पर त्रुटिवश "03 माह के व्यय हेतु रूपये 912.00 लाख (रूपये नौ करोड़ बारह लाख मात्र)" अंकित हो गया है, जिसे "03 माह के व्यय हेतु रूपये 912.525 लाख (रूपये नौ करोड़ बारह लाख बावन हजार पांच सौ मात्र)" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-30/2017/1884/60-2-17-2/1(90)/12, दिनांक 31.07.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव

संख्या-33/2017/1884(3)/60-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in